# प्रेस नोट जनपद फतेहपुर
## दिनांक- 21.10.2025

## थाना हुसैनगंज पुलिस द्वारा लूट सहित हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त अभियुक्त को मय आला कत्ल नुकीला पेंचकस व लूटे गये ई-रिक्शा के साथ किया गया गिरफ्तार।

**संक्षिप्त विवरण:-** थाना हुसैनगंज पर दिनांक 17.10.2025 को वादी मुकदमा श्री बाबू राम पुत्र बहादुर निषाद उम्र करीब 65 वर्ष निवासी ग्राम देवरानार थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर द्वारा मु0अ0सं0 290/2025 धारा 103(1)/238/309(6) बीएनएस बाबत अज्ञात आरोपी द्वारा वादी के भतीजे नीरज पुत्र ननका उम्र 26 वर्ष की हत्या कर शव को रहिमाल बाबा मन्दिर के पास नहर में छिपाने व ई रिक्शा नं0 UP71BT7210 को लूट लेने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया था। अभियोग के शीघ्र अनावरण के संबंध में पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अनूप कुमार सिंह के निर्देशन में अभियोग के विवेचक द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के अनुक्रम में संकलित इलेक्ट्रानिक/भौतिक साक्ष्य के परिशीलन एवं प्रभावी पतारसी सुरागरसी के क्रम में घटना कारित करने वाले अभियुक्त मेवालाल प्रजापति पुत्र स्व0 रामदुलारे उम्र करीब 30 निवासी ग्राम जमरांवा थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर को दिनांक 20.10.2025 को समय 19.40 बजे ग्राम लालीपुर तिराहा से गिरफ्तार कर मृतक नीरज निषाद पुत्र ननका निषाद का लूटा गया ई-रिक्शा नं UP71BT7210 व अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद लोहे का नुकीला पेंचकस आला कत्ल बरामद किया गया। गिरफ्तारी वं बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर आज दिनांक 21.10.2025 को माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-**

1. मेवालाल प्रजापति पुत्र स्व0 रामदुलारे उम्र करीब 30 निवासी ग्राम जमरांवा थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर।

**बरामदगीः-**

01. अभियुक्त के कब्जे से लूटा गया ई-रिक्शा नं0 UP71BT7210
02. घटना में प्रयुक्त एक अदद लोहे का नुकीला पेंचकस (आला कत्ल)

**गिरफ्तार करने वाली टीमः-**

1.प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार पाण्डेय थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर
2. उ0नि0 श्री बृजेन्द्र कुमार
3.उ0नि0 श्री उग्रेशदत्त त्रिपाठी
4.उ0नि0 श्री सत्येन्द्र कुमार
5.कां0 मनोज कुमार
6.कां0 फूलचन्द्र

**सोशल मीडिया सेल**
**जनपद फतेहपुर**